न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 104/18 उपनिवेशन विविध

राजस्थान राज्य जरिये उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत नं. 3 मुख्यालय, बज्जु।

—प्रार्थी

: ब ना म :

लालचंद पुत्र हरद्वारी लाल यादव(अहीर) साकिन आसपुरा तहसील कोटपुतली जिला जयपुर

—अप्रार्थी

उपस्थितिः—

1. प्रार्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।
2. श्री देवेन्द्र कुमार अप्रार्थी हाजिर नहीं।

अन्तर्गत नियम 22(3) राजस्थान उपनिवेशन
(इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975

: आदेश :

दिनांक 08.01.2020

1. प्रार्थी स्टेट की ओर से उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत नं. 3 मु. बज्जु द्वारा यह प्रार्थना—पत्र दिनांक 29.10.12 को अति. आयुक्त, उपनिवेशन (सर्तकता), बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत हुआ। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण प्रार्थना—पत्र इस न्यायालय को हस्तानान्तरित होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेशी में लिया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि चक 1 डीएलएमआर के मु.नं. 141/41 की 25 बीघा कमाण्ड भूमि अप्रार्थी को दिनांक 04.06.2007 को राजस्थान उपनिवेशन (इगानप परियोजना के उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के अन्तर्गत नियम विरूद्ध आवंटित की गयी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी का प्रश्नगत आवंटन उपनिवेशन नियम, 1975 के नियम 22(3) के तहत निरस्त करने का निवेदन किय गया।

2. अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार उपस्थित आये।

3. तदन्तर उभयपक्ष की बहस हेतु नियत पेशी पर स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित आये। अप्रार्थी हाजिर नहीं आये। प्रकरण में विभागीय प्रतिनिधि की एकतरफा बहस सुनी गयी।

जिला कलक्टर, बीकानेर

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्थान उपनिवेशन (इगानप परियोजना के उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विकय) नियम, 1975 के अन्तर्गत प्रार्थी को विनिमय समिति की अनुशंषा किये बिना आवंटन किया गया है जो प्रकिया एवं नियमो के विपरित होने से निरस्त योग्य है। पत्रावली में लगी आवंटन पर्ची में आवंटन सलाहकार समिति के समस्त सदस्यो के हस्ताक्षर नहीं है। इससे यह प्रकट होता है कि प्रकरण में आवंटन पर्ची में हेराफेरी की गयी है। अतः प्रार्थी को किया गया आवंटन नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्त फरमाया जावे।

5. हमने विभागीय प्रतिनिधि की बहस का मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रार्थी स्टेट की ओर से उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत नं. 3 ने हस्तगत प्रार्थना पत्र न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त, उपनिवेशन (सर्तकता), बीकानेर के समक्ष दिनांक 29.10.2012 को प्रस्तुत किया है जबकि आवंटी की मृत्यु दिनांक 31.08.2008 को हो चुकी थी। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र से प्रार्थी के मृत्यु दिनांक 31.08.08 को होने की पुष्टि होती है। इस आधार पर उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं. 3 द्वारा मृतक आवंटी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत होने के कारण सारहीन हो चुका हैं।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। अप्रार्थी को भूमि आवंटन की सत्यता/प्रमाणिकता के संबंध में हम विस्तृत जांच करवायी जाना न्यायोचित समझते है। प्रकरण तहसीलदार, बज्जु को प्रार्थना पत्र मय संलग्न दस्तावेजात के प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में किए गये आवंटन की विधिवत एवं नियमों के परिपेक्ष्य मे विस्तृत जांच एक माह में आवश्यक रूप से की जाकर समुचित कार्यवाही करे। यदि जांच में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप परियोजना के उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विकय) नियम, 1975 के तहत आवंटन नियम विरूद्ध पाये जाता है तो प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

7. आदेश आज दिनांक **08.01.2020** को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर